न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 873/ 2019

देवेन्द्र सिंह पुत्र हरदीपसिंह जाति तरखान निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

1 हरदीप सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति तरखान निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2 मलकीयत सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति तरखान निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3 मनप्रीत कौर पुत्री हरदीप सिंह पत्नी सतनाम सिंह जाति तरखान निवासी निवासी 49 आर बी पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
4 अमनदीप कौर पुत्री हरदीप सिंह पत्नी गुरप्रीत सिंह जाति तरखान निवासी अरायण तहसील केसरीसिंहपूर जिला श्रीगंगानगर
5 राजेन्द्र कौर पुत्री हरदीप सिंह पतनी हरभजन सिंह जाति तरखान निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग अधिवक्ता (वादी)
2 श्री रजनीकान्त अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 5
3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 27.1.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88 आर. टी.ए. के तहत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 3 के आर डब्लयू जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 30/110 प.न. 106/129 मु.न. 68 कि.न., 8,9,12,13,18,19 में 1.518 है. बारानी, प.न. 105/129 मु.न 69 कि.न. 15 में 0.253 है. बारानी, प.न. 105/130 मु.न. 72कि.न.5 ता7, 14, 15 में 1.265 है. बारानी कुल 3.036 है.बारानी आराजी में से प्रतिवादी संख्या1 के नाम 0.506 है. व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 0.506 हे. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न वाद पत्र है। चक 23 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 31/29 प.न. 91/137मु. न. 4 कि.न. 2 ता 9,12 ता 19,22 ता25 में 5.060 है. नहरी, प.न. 92/137 मु.न. 5 कि. न. 1 ता 25 में 6.325है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, प.न. 94/138मु.न. 8 कि.न. 20 में 0. 253 है. नहरी, प.न 93/138 मु.न. 9कि.न .1 ता 21 में 5.313 है. नहरी मय खाला, प. न. 92/138 मु.न. 10कि.न.1 ता20, 23 ता25 में 5.819 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, कुल खाता 22.770 है.नहरी मयगै.मु. रास्ता, खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या1 के नाम 0.368 है. +0.368 है. कुल 0.736 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न वाद पत्र है। वादी एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एव वादी एव प्रतिवादी संख्या1 का पुत्र है एव प्रतिवादी संख्या 3 ता5 वादी की बहिनें है , वादाधीन आराजी के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के पास चक 14 पी टी पी में 5 बीघा चक18 पी टी पी में 5 बीघा चक 7 केआरडब्ल्यू में 2 बीघा आराजी विरासतन भूमि है एव दावा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

की मद संख्या 2 व 3 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज आराजी विरासतन भूमि है। वादी एव प्रतिवादीगण हिन्दू विधि से शासित है जहां प्रत्येक सन्तान का सहदायिकी सम्पति में जन्म से ही कानूनन हक व हिस्सा बनता है जो कि वादी प्रतिवादी संख्या1 का पुत्र है एव पुत्र होने के नाते वादाधीन आराजी में वादी का कानूनन हक हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 जो वादी की बहिने है एवं तीनों बहिनों की शादि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने साथ रहते हुये संयुक्त रूप से की है एव उनकी शादि उनके हक हिस्सा को ध्यान में रखते हुये अच्छे खानदान में की हुयी है ,जिससे खुश होकर प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की आराजी को वादी व प्रतिवादी संख्या1के हक में छोड़ दिया है एव वादी को दावा की मदसंख्या 2 व 3 में दर्ज आराजी पारिवारिक बंटवारा में प्राप्त हुयी है एव प्रतिवादी संख्या 1 व2 को चक 14पी टी पी चक 18 पी टी पी चक 7 के आरडब्लयू में आराजी प्राप्त हुयी है जिस पर प्रतिवादीगण मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादी के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार प्राप्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादी को पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एव आराजी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही होने से वादी को प्रतिवादीगण द्वारा बेदखल किये जाने का अंदेशा सदैव लगा रहता है जिस कारण वादी अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त आराजी को मन लगाकर काश्त कर पाने में असमर्थ है इसलिए वादी अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार प्राप्त आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का कानूनन हक अधिकारी है। वगैरा–वगैरा।

लिहाज़ा वाद वादी मय शपथ पत्र दो प्रतियों में पेश कर निवेदन है कि चक 3 के आर डब्लयू जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 30/110 प.न. 106/129 मु.न. 68 कि.न., 8,9,12,13,18,19 में 1.518 है. बारानी, प.न. 105/129 मु.न 69 कि.न. 15 में 0.253 है. बारानी, प.न. 105/130 मु.न. 72कि.न.5 ता7, 14, 15 में 1.265 है. बारानी कुल 3.036 है.बारानी आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.506 है. व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 0.506 हे. कुल 1.012 है. आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे। चक 23 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 31/29 प.न. 91/137मु.न. 4 कि.न. 2 ता 9,12 ता 19,22 ता25 में 5.060 है. नहरी, प.न. 92/137 मु.न. 5 कि.न. 1 ता 25 में 6.325है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, प.न. 94/138मु.न. 8 कि.न. 20 में 0.253 है. नहरी, प.न 93/138 मु.न. 9कि.न .1 ता 21 में 5.313 है. नहरी मय खाला, प.न. 92/138 मु.न. 10कि.न.1 ता20, 23 ता25 में 5.819 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, कुल खाता 22.770 है.नहरी मयगै.मु. रास्ता, खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.368 है. +0.368 है. कुल 0.736 है. आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादीगण में उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, वकील प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

ने वादी के कथनों मे अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एव वादी द्वारा चाहे गये अनूतोष की आराजी के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के पास अन्य खातों में भी आराजी दर्ज कागजात माल है , जो कि वादी सहदायिकी सम्पति में पारिवारिक बंटवारा के मुताबिक खातेदारी घोषणा की मांग कर रहे है, प्रतिवादीगण ने वादी के वाद पत्र के समर्थन में ईकबाल दावा पेश कर वादी के अभिकथनों को स्वीकार किया है एव वादी की कब्जा काश्त को पारिवारिक बंटवारा के अनूसार स्वीकार किया है , एव वादी के अनूतोष में अपनी सहमति प्रकट की है वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है एव प्रतिवादी संख्या 2 ने जरिये इकबाल कथन वादी के हक हिस्सा में आयी आराजी में अपनी सहमति प्रदान की है, व वादी की कब्जा काश्त के सम्बध में प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है।इस प्रकार वादी ने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों, अभिकथनों, इकबाल कथनों एव बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– चक 3 के आर डब्लयू जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 30/110 प.न. 106/129 मु.न. 68 कि.न., 8,9,12,13,18,19 में 1.518 है. बारानी, प.न. 105/129 मु.न 69 कि.न. 15 में 0.253 है. बारानी, प.न. 105/130 मु.न. 72कि.न.5 ता7, 14, 15 में 1.265 है. बारानी कुल 3.036 है.बारानी आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.506 है. व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 0.506 हे. कुल 1.012 है. आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाता है एंव चक 23 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 31/29 प.न. 91/137मु.न. 4 कि.न. 2 ता 9,12 ता 19,22 ता25 में 5.060 है. नहरी, प.न. 92/137 मु.न. 5 कि.न. 1 ता 25 में 6.325है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, प.न. 94/138मु.न. 8 कि.न. 20 में 0.253 है. नहरी, प.न 93/138 मु.न. 9कि.न .1 ता 21 में 5.313 है. नहरी मय खाला, प.न. 92/138 मु.न. 10कि.न.1 ता20, 23 ता25 में 5.819 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, कुल खाता 22.770 है.नहरी मयगै.मु. रास्ता, खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.368 है. +0.368 है. कुल 0.736 है. आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.05 17:23:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: